To Provide Benefits of Ayushman Bharat Scheme

*1440 Sh. PARMOD KUMAR VIJ, M.L.A.: Will the Health Minister be pleased to state:-

- a) Whether the benefits of Ayushman Bharat Scheme are being provided to all the BPL families in the State; if so, the details thereof;
- b) If not, the steps taken by the Government to provide benefits of the above said scheme to all the BPL families of the state;
- c) The name of the categories included by the Government in Ayushman Bharat Scheme in the State;
- d) The time by which the survey is likely to be conducted by the Government for providing benefits under Ayushman Bharat Scheme together with the provisions of the Government to add the name of any person in the said scheme?

Reply

Sh. Anil Vij, Health Minister, Haryana

Sir, a statement is laid on the table of the house w.r.t. Question no. *1440

- a) As per Guidelines issued by National Health Authority, Government of India, the benefits of Ayushman Bharat Scheme are provided to the deprived families under Socio Economic Caste Census-2011 database (Urban and Rural population) as the entitled beneficiaries of AB-PMJAY across the country.
- b) Apart from SECC-11 database, Government has decided to add other categories to give the benefits of Ayushman Bharat Scheme.
- c) The families of following categories, which are already not covered in SECC-2011, are proposed to be added under PMJAY with certain qualifying criteria:

S. No.	Category Name
1	Construction Workers
2	Lumberdars
3	Chowkidars
4	Mukhya Mantri Pariwar Smiridhi Yojna (MMPSY): Families with Annual
	Income of less than 1.8 Lakh per year and Agricultural Land holding of less
	than 5 Acres.

d) The families of above mentioned categories are being included under PMJAY in Haryana and the process is likely to be completed within six months.

आयुष्मान भारत योजना का लाभ प्रदान करने के लिए

1440. श्री प्रमोद कुमार विज, विधायक : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:-

- क. क्या राज्य के सभी बीपीएल परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा दें,
- ख. यदि नहीं तो राज्य के सभी बीपीएल परिवारों को उक्त योजना का लाभ प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है,
- ग. राज्य में आयुष्मान भारत योजना में सरकार द्वारा शामिल श्रेणियों के नाम,
- घ. उक्त योजना में किसी व्यक्ति का नाम जोड़ने के सरकार के प्रावधानों के साथ आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा सर्वेक्षण कब तक किए जाने की संभावना है?

उत्तर

श्री अनिल विज. स्वास्थ्य मंत्री, हरियाणा

महोदय, प्रश्न संख्या 1440 के संदर्भ में एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

- क. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा—निर्देशों के अनुसार, आयुष्मान भारत योजना का लाभ सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना—2011 डाटा के आधार पर (शहरी और ग्रामीण आबादी) के तहत वंचित परिवारों के देशभर में एबी—पीएमजेवाई के हकदार लाभार्थियों के रूप में प्रदान किया जाता है।
- ख. आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने के लिए सरकार ने एसईसीसी—11 डेटाबेस के अलावा अन्य श्रीणियों को जोडने का फैसला किया है।
- ग. निम्नलिखित श्रेणियों के परिवार, जो पहले से ही एस.ई.सी.सी—2011 में शामिल नहीं है कुछ योग्यता मानदंडों के साथ पी.एम.जे.ए.वाई. के तहत जोडे जाने का प्रस्ताव है:

क्र.सं.	श्रेणी नाम
1	निर्माण श्रमिक
2	लम्बरदार
3	चौकीदार
4	मुख्यमंत्री परिवार स्मृति योजना (एमएमपीएसवाई)ः सलाना आय 1.80 लाख से
	कम तथा खेती योग्य भूमि 5 एकड़ से कम

घ. उपरोक्त श्रेणियों के परिवारों को हरियाणा में पी.एम.जे.ए.वाई के तहत शामिल किया जा रहा है और यह प्रक्रिया छह महीने के भीतर पूरी होने की संभावना है।